न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 04/2020 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– प्रार्थी–

बनाम

1. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रामकरण सिंह चौधरी विक्रेता एवं मालिक
मैसर्स संगम इण्डस्ट्रीज, जी–33, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 17.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.10.2019 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः– संगम इण्डस्ट्रीज, जी–33, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई स्थित कारखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कारखाने पर विक्रेता एवं मालिक श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रामकरण सिंह चौधरी उपस्थित मिला। जिसे अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के कारखाने पर 10 कट्टों में 50 किग्रा वजनी पैक आटा(संगम भोग) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक पैक कट्टे को खोलकर हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम आटा(संगम भोग) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 44 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम आटा(संगम भोग) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीरियल नम्बर ए.जी.– 2270 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.10.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.10.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) के नमूने की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./720/एक्ट/2019/701 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./720/एक्ट/2019/701 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) के नमूने मे Insoluble ash (अघुलनशील तत्वो) की मात्रा 0.19 प्रतिशत पाई गई है। जो कि अधिकतम 0.15 प्रतिशत होनी चाहिए थी। Insoluble ash (अघुलनशील तत्वो) की मात्रा तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के निवेदन किया कि हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। हमारे द्वारा गेहूं खरीदकर गेहूं की पिसाई कर शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण आटा पिसा जाकर उसकी पैकिंग की जाकर बेचा जाता है। जांच रिपोर्ट में ऐश की मात्रा थोडी सी ज्यादा पाई जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। भविष्य में हमारे द्वारा गेहूं की पिसाई के दौरान गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 04 / 2020 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./720/एक्ट/2019/701 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ आटा(संगम भोग) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रामकरण सिंह चौधरी मैसर्स संगम इण्डस्ट्रीज, जी–33, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई पर 4,000/–(अक्षरे चार हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 17.03.2021 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA / 604-606
दिनांकः– 27.03.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रामकरण सिंह चौधरी विक्रेता एवं मालिक मैसर्स संगम इण्डस्ट्रीज, जी–33, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई जिला दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा